

उ०प्र०शासन

नगर विकास अनुभाग 1

संख्या 4931/9.1.13-310 सा/13

लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, सन् 1916) की धारा-56 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण / तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड संख्या	सदस्य का नाम	मृत्यु का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	कासगंज	नगर पंचायत अमांपुर	08	श्री रामेश्वर दयाल	01.04.2013
2.	कौशाम्बी	नगर पंचायत सराय अकिल	02	श्री संतोष कुमार	13.09.2013

आज्ञा से,

(सी०बी०पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 4931(1) /9.1.13-310 सा/13, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड -ख में दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित कराकर 20 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनु०1, बापू भवन, सातवां तल, लखनऊ तथा राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० पी०सी०एफ० भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।

संख्या ⁴⁹³¹ (2) /9.1.13-310 सा /13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पंजीकृत: संयुक्त आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) 30प्र0, पी0सी0एफ0 भवन, स्टेशन रोड, लखनऊ।
2. आयुक्त, इलाहाबाद एवं अलीगढ़ मण्डल ।
3. जिलाधिकारी, कौशाम्बी एवं कासगंज।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, 30प्र0, लखनऊ।
5. संबधित अधिशासी अधिकारी, द्वारा जिलाधिकारी।
6. गार्ड बुक।

न. कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।